326

सख्याः 771 /XVII(4)/2014/5(122)/14

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 18 अगस्त, 2015

विषयः– जनपद हरिद्वार में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान (एम0एल0टी0सी0 सहित) के निर्माण कार्य (प्रथम चरण) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या सी0–2553/एस0टी0आई0/एल0एल0टी0सी0/2014–15 दिनांक 04–12–2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरिद्वार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान (एम0एल0टी0सी0 सहित) का निर्माण (प्रथम चरण) कामकाजी महिला छात्रावास के पास रिक्त पड़ी भूमि में किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के प्रारम्भिक आंगणन तथा प्रकियात्मक कार्यो हेतु लागत रू0 43.61 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत रू0 16.60 लाख की धनराशि की चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्रावधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

2– कार्य करने पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

3– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकि दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यो को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

4– कार्य करने से पूर्व उच्चधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

5– मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

6– यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आंगणन में समायोजित की जाय।

7– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण कार्यो से इतर कार्यो/उपकरणों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 को पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8– मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9– प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तद्नुसार कार्यवाही की जाय।

10– द्वितीय चरण के विस्तृत आंगणन को प्रेषित करते समय यह प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाये कि "प्रथम चरण के प्रस्तावित कार्य पूर्ण हो चुके हैं"।

11– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 571/XXVII(1)/2010 दिनांक 19–10–2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

12– आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई होगी, की स्वीकृति पर नियमानुसार सक्षम अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

13– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आंगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

14– आंगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगे।

15– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशानिर्देशो का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

16– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए विभागीय आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक 4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय –02–समाज कल्याण–102–महिला कल्याण–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 0107–राज्य स्तरीय आई0सी0डी0एस0 प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण (75 प्रतिशत केन्द्र सहायतित) के अन्तर्गत मानक मद–24–वृहत निर्माण कार्य के आयोजनागत पक्ष के नामे डाला जाएगा।

17– यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-1/2012 दिनांक 28–3–2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई0डी0 संख्या S1507150179 दिनांक 23–7–2015 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 622/XXVII(1)/2014 दिनांक 26 जून, 2014 के क्रम में निर्गत किये जा रहे है।

18– उक्त स्वीकृति वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0 संख्या 792/XXVII(1)/2015 दिनांक 16 जुलाई, 2015 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है।

भवदीया

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या–771 /XVII(4)/2013/5(122)/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल, मण्डल पौड़ी, उत्तराखण्ड।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
7. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 हरिद्वार।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(ज्योति नीरज खैरवाल)
अपर सचिव

संख्या–77/ /XVII(4)/2015/5(122)/14दिनांक 10 अगस्त, 2015 का संलग्नक

तालिका–01

अनुदान संख्या–15			(₹ हजार में)
क्र0 सं0	लेखाशीर्षक / मानक मद	वित्तीय वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए निर्वतन पर रखे जाने हेतु
01	02	03	04
4235–02– 102– 01– 07	राज्य स्तरीय आई0सी0डी0एस0 प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण (75 प्रतिशत केन्द्र सहायतित)	₹100000	₹ 1660
24	वृहद निर्माण		
	योग–02		1660

योग– (₹ सोलह लाख साठ हजार मात्र)

(ज्योति नीरज खैरवाल)
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Secretary, ICDS (S022)

आवंटन पत्र संख्या - 1089/XVII(4)/2015/5(122)/2014

अनुदान संख्या - 015

अलोटमेंट आई डी - S1507150179

HOD Name - Director I C D S (4166)

आवंटन पत्र दिनांक -23-Jul-2015

1: लेखा शीर्षक 4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02 - समाज कल्याण

102 - बाल कल्याण

07 - राज्यस्तरीय आई0सी0डी0एस0 प्रशिक्षण केन्द्र भवन 01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योज

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	0	1660000	1660000
	0	**1660000**	**1660000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 1660000

(ज्योति नीरज खरवाल)
अपर सचिव।